कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा–माध्य / शालादर्पण. / 60302 / विद्यार्थी / 2022–23 दिनांक : 21.09.2023

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त संस्था प्रधान (राउमावि स्तर)।

विषय :– शालादर्पण शिक्षक एप्प के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 05.09.2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शालादर्पण शिक्षक मोबाइल एप्प का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा स्टाफ आई डी से लॉगिन कर स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के सेक्शन चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इन्द्राज कर पायेंगें। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉडयूल से सिंक हो जायेगा। सिंक होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला, एवं राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर सहज उपलब्ध होगा।

प्रथम चरण में यह कार्य राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है इस हेतु निम्नानुसार दायत्वि निर्धारित किये जाते हैः–

संस्था प्रधान के दायित्व–

- स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त एप्प डाउनलोड व इन्स्टॉल करवाना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति एप्प पर अनिवार्यतः दर्ज हो।
- प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शालादर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना।
- कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर शालादर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉडयूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना।
- कक्षाध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं स्टाफ की एप्प पर दर्ज व पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना।

कक्षाध्यापक के दायित्व

- यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी एप्प पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हों यदि कोई विद्यार्थी एप्प पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 09 पूर्ण करना।
- कक्षा के सभी विद्यार्थियों के एप्प पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना।

स्टाफ के दायित्व (कक्षाध्यापक के अतिरिक्त स्टॉफ)

- प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति एप्प के माध्यम से दर्ज करना
- संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिये जाने वाले निर्देशों की पालना करना

शालादर्पण प्रभारी के दायित्व

- जिन विद्यालयों में एप्प के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, एप्प में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉडयूल में प्रदर्शित होगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना।

- प्रथम चरण में केवल कक्षाध्यापकों को ही एप्प पर लॉगिन की सुविधा होगी। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राउमावि के शालादर्पण प्रभारी कक्षाध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टॉफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉडयूल से भरेंगें।
- कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉडयूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना।

संभाग, जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व

- अपने अधीनस्थ समस्त राउमावि में एप्प के माध्यम से विद्याथियों की उपस्थिति दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करना।
- उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों/कक्षाध्यापकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकनों के दौरान एप्प से दर्ज उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण करेंगें।

उक्त मॉडयूल के प्रभावी संचालन हेतु दिनांक 22.09.2023 को ऑनलाईन वेबीनार रखा गया है। सभी संबंधित उक्त वेबीनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें एवं दिनांक 02.10.2023 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थिति इसी एप्प से दर्ज करेंगें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

<u>संलग्नः</u>—यूजर मैनुअल

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राज0 सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया राज0 सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई. टी) एनआईसी जयपुर।
5. उपनिदेशक शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर एवं अनुभाग अधिकारी शालादर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा एक—एक कार्मिक को तकनीकी सहायता हेतु नामित करेंगें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर